भारत INDIA

दो रुपये TWO RUPEES

227 -

176
09.4.18

प्रतिलिपि आदेश दिनांक – 07.4.2018 ई० द्वारा पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद अन्तर्गत धारा 80 रा०सं० वाद संख्या – 31 ग्राम – सिंहारी परगना – खण्डासा, तहसील – मिल्कीपुर जिला – फैजाबाद उन्वान मुकदमा कौशलेन्द्र प्रताप आदि बनाम सरकार तारीख फैसला – 07.4.18 ई०

176

09.4.18

10.4.18

10.4.18

7-00

कॉपिस्ट कैलाश प्रसाद कापीस्ट सक्षम है

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :फैजाबाद,जनपद :फैजाबाद,तहसील :मिल्कीपुर
वाद संख्या :-04130/2017
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201704230404130
कौशलेन्द्र प्रताप मिश्र बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं० 31

ग्राम सिडसिड परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद।

आदेश

प्रस्तुत वाद कौशलेन्द्र प्रताप आदि निवासी ग्राम सिडसिड परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है,जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि प्रार्थी ग्राम सिडसिड परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का स्थायी निवासी है। गाटा संख्या 1533 रकबा 2.163हे0 स्थित ग्राम सिडसिड परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद प्रार्थीगण के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूखण्ड में प्रार्थी का 1/2 अंश होता है। उपरोक्त भूखण्ड में कमरे व बाउण्ड्रीवाल बने हुए है। किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है। भूखण्ड पूरी तरह से आबादी के रूप मे प्रयुक्त हो रहा है। भविष्य में विद्यालय चलाने की योजना प्रस्तावित है।उपरोक्त भूखण्ड पर आवासीय भवन बाउण्ड्रीवाल गेट आफिस होने तथा किसी प्रकार का कृषि कार्य न होने की दशा में अकृषिक/आबादी भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्त में ग्राम सिडसिड की गाटा संख्या 1533 रकबा 2.163हे0 में 1/2 अंश 1.081.5हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के साथ नकल खतौनी आकार पत्र 41 व 45 की नकल व मौके का दृष्टिचित्र दाखिल किया गया है। पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद से जांच करायी गयी। तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद की जांच आख्यानुसार ग्राम सिडसिड की गाटा संख्या 1533 जो कौशलेन्द्र प्रताप मिश्र आदि निवासी ग्राम सिडसिड के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है, पर पक्का निर्माण करके गैरकृषिक प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है। अन्त में ग्राम सिडसिड परगना खण्डासा की गाटा संख्या 1533 रकबा 2.186हे0 में से रकबा 1.081.5हे0को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुत सहित प्राप्त हुई है। वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं आयी है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के

P.T.O.

231

3/24/2018, 1:23 PM